ायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीठासीन अधिकारी:–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
ुकदमा नम्बर:–262/2018 प्रार्थना पत्र
लादू पिता बालू बलाई, उम्र बालिग निवासी कुम्हारिया खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
——प्रार्थी

बनाम

-श्री बंशीलाल पिता छोगा जाट, उम्र बालिग निवासी जाटो का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री श्यामलाल पिता हरलाल जाट, उम्र बालिग निवासी जाटो का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री नंदलाल पिता हरलाल जाट, उम्र बालिग निवासी जाटो का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री शैलेन्द्र कुमार पिता शांतिलाल हीगड़,उम्र बालिग निवासी गांधीनगर–भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा
-श्री नानूराम पिता घीसा जाट, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
-श्री भागीरथ पिता रघुनाथ जाट, उम्र बालिग निवासी जाटों का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री किशन पिता रघुनाथ जाट, उम्र बालिग निवासी जाटो का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
——विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक:–22.3.2019

:: नि र्ण य ::

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व धिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर पटवार हल्का र तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 3946/1, 4672/1 कुल किता 2 रकबा 2 घा 14 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी वाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा नकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर त्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2018 को पंजीबद्व किया जाकर रिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, व 8 के सम्मन बाद ामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 को कितनी मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 6.2.2019 ो एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 3 के विरूद्व कोई ार्यवाही नहीं चाहने के कारण दिनांक 6.2.2019 को नाम डिलिट किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा हस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे ाश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे ाश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल नम्बर 3946/1, 4672/1 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख क, पुर को 300/–रूपये (तीन सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। र फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की गी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner